संख्या 573 / XXVII(8) / वाणिज्यकर(वैट) / 2006

प्रेषक,

प्रमुख सचिव वित्त एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तरांचल
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनॉकः देहरादूनःअगस्त 21, 2006

विषयः दिनॉक 01 / 04 / 2006 से 31 / 03 / 2009 तक के लिए विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) में देय कर के स्थान पर समाधान योजना।

महोदय,

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अविभाजित विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में विद्युत संविदाकरों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि संलग्न शासन के निर्देशों में उल्लिखित शर्तो के अधीन स्वीकार कर लिया जाय।

समाधान राशि संविदा की संम्पूर्ण धनराशि पर आंकलित की जायेगी, जिन संविदाकारों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में फार्म सी अथवा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप XVI का प्रयोग किया गया है उन पर संविदा की संम्पूर्ण धनराशि के 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी। जिन संविदाकारों द्वारा फार्म सी अथवा प्रारूप XVI का प्रयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है उन पर संविदा की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

यह योजना उन विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में प्रभावी होगी जिनपर कार्य दिनॉक 01 / 04 / 2006 या उसके बाद पूर्ण हुए हो चाहें उनके कार्य 01 / 04 / 2006 से पूर्व ही क्यो ना प्रारम्भ हो गये हों।

किसी संविदाकार के लिये इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी संम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। सभी संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकते।

शासन के निर्देशों के साथ प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र के प्रारूप भी सलंग्न है। कृपया अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही
अपर आयुक्त कर
उत्तरांचल देहरादून
3054
22-8-06

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तरांचल

c:\desktop\tipani_ordinance\commissioner_tax